23वें विधि आयोग का गठन

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **विधि एवं न्याय मंत्रालय** ने 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक **तीन वर्ष की अवधि के लिये** 23वें विधि आयोग का गठन किया है।

23वें विधि आयोग के विषय में मुख्य विवरण क्या हैं?

- **अधिदेश: वर्ष 2020 में गठित** 22वें विधि आयोग के संदर्भ की शर्तों के अनुसार, नवगठित पैनल को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान कानूनों का आकलन करने का कार्य सौंपा गया है।
- **संदर्भ की शर्तें:**
  - राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में मौजूदा कानूनों की जाँच करना तथा निदेशक सिद्धांतों और संवैधानिक प्रस्तावना के उद्देश्यों के अनुरूप सुधार का सुझाव देना।
  - खाद्य सुरक्षा और बेरोज़गारी पर **वैश्वीकरण** के प्रभाव की जाँच करना।
  - हाशिये पर पड़े लोगों के हितों की सुरक्षा के लिये उपायों की सिफारिश करना।
  - **न्यायिक प्रशासन** की समीक्षा करना तथा उसे और अधिक उत्तरदायी व कुशल बनाने के लिये उसमें सुधार करना।
    - इसका उद्देश्य विलंब को कम करना, उच्च न्यायालय के नियमों को सरल बनाना और **केस प्रवाह प्रबंधन ढाँचा** स्थापित करना।

विधि आयोग क्या है?

- **परिचय:** यह **विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना** के माध्यम से **कानूनी सुधारों के लिये** कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिये गठित एक **गैर-सांविधिक निकाय** है।
  - विधि आयोग एक **निश्चित कार्यकाल** के लिये स्थापित किया जाता है और विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिये एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
- **विधि आयोग का इतिहास: प्रथम** विधि आयोग की स्थापना चार्टर अधिनियम, 1833 के तहत वर्ष 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी।
  - इसने भारतीय दंड संहिता **और** दंड प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की।
  - इसके बाद क्रमशः **1853, 1861 एवं 1879 में दूसरे, तीसरे तथा चौथे** विधि आयोग का गठन किया गया।
  - **भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882** पहले चार विधि आयोगों द्वारा निर्मित किये गये थे।
- **स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग का गठन:** भारत सरकार ने **वर्ष 1955 में** स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन **महान्यायवादी श्री एम. सी. सीतलवाड़** थे।
  - तब से अब तक **23 विधि आयोग गठित** किये जा चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक का **कार्यकाल तीन वर्ष** का है।
- **विधि आयोग के कार्य:**
  - **अप्रचलित कानूनों की समीक्षा/निरसन:** अप्रचलित और अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करना तथा उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करना।
  - **कानून और गरीबी:** गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जाँच करना और सामाजिक-आर्थिक कानून का पश्च-लेखा-परीक्षण (post-audit) करना।
  - **नए कानूनों का प्रस्ताव:** निदेशक सिद्धांतों को लागू करना और प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये नए कानूनों का प्रस्ताव करना।
  - **न्यायिक प्रशासन:** सरकार द्वारा संदर्भित कानून और न्यायिक प्रशासन के मुद्दों पर समीक्षा करना तथा सिफारिशें करना।
- **महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट:** भारतीय विधि आयोग ने अब तक विभिन्न मुद्दों पर 289 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, जिनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट इस प्रकार हैं:
  - **रिपोर्ट संख्या 283 (सितंबर, 2023):** यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत सहमति की आयु।

- **रिपोर्ट संख्या 271 (जुलाई 2017):** मानव DNA प्रोफाइलिंग।
- **रिपोर्ट संख्या 273 (अक्तूबर 2017):** यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कार्यान्वयन।
- **रिपोर्ट संख्या 274 (अप्रैल 2018):** न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की समीक्षा

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/23rd-law-commission-set-up